

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.17
TO BE ANSWERED ON 4TH FEBRUARY, 2025

PROCUREMENT OF PADDY AND WHEAT AT MSP

17 SHRI UPENDRA KUSHWAHA:

Will the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution be pleased to state:

- (a) the target for procurement of paddy and wheat at Minimum Support Price (MSP) in the last three years along with their quantities procured corresponding to the target, the details thereof, State-wise; and
- (b) the amount spent on the procurement of the aforementioned food grains in the last three years, the details thereof, State-wise?

A N S W E R
MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY
(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF THE STARRED QUESTION NO. 17 (2nd Position) FOR ANSWER ON 04.02.2025 IN THE RAJYA SABHA.

(a): The estimates for procurement of Paddy and wheat are fixed during Food Secretaries' meeting in consultation with State Governments concerned, Ministry of Agriculture and Food Corporation of India, before the commencement of each procurement season based upon estimated production, marketable surplus and agricultural crop pattern.

Key Initiatives:

The improvements in paddy and wheat procurement are the result of several farmer-friendly initiatives undertaken by the Government of India:

1. The Government has consistently ensured MSP calculations are based on scientific principles, making cultivation profitable for farmers. Government of India in its Union Budget for 2018-19 announced to keep MSP at a level of one and half times of the cost of production, as a pre-determined principle. Accordingly, MSPs for all mandated Kharif, Rabi and other commercial crops including paddy, wheat and coarse grains have been fixed with a margin of at least 50 per cent over all India weighted average cost of production since 2018-19.
2. Extensive outreach programs are conducted to ensure that farmers across the country are well-informed about procurement processes and MSP benefits.
3. Farmer's registration is streamlined to minimize delays and improve transparency in procurement.
4. Investments in storage, transportation, and procurement centers have expedited procurement processes and reduced post-harvest losses.
5. Digitalization and direct benefit transfers have ensured that farmers receive their payments promptly.
6. The Hon'ble Minister has conducted a review with wheat-procuring states to encourage them to enhance wheat procurement efforts.

Due to all these efforts the total procurement of Paddy was 782.25 LMT during KMS 2023-24 and procurement of wheat was 266.05 LMT during RMS 2024-25.

The State-wise procurement estimates and quantity procured for paddy and wheat at Minimum Support Price (MSP) in last three years is at **Annexure-I & Annexure-II** respectively.

.....2/-

(b): Procurement of paddy and wheat for central pool is carried out under Decentralized Procurement (DCP) system and Centralized procurement (Non-DCP) system.

In the DCP system, State Governments and their agencies procure, store and distribute wheat and paddy/rice under National Food Security Act (NFSA) and Other Welfare Scheme (OWS) within the State. The excess stocks procured by the State and its Agencies are handed over to Food Corporation of India (FCI) in Central Pool. As regards the excess stock handed over by the State to FCI, payment are released to the respective state by FCI which is reimbursed by Government of India to FCI. Government of India reimburses the expenditure incurred by DCP State for distribution of procured quantity within the state under NFSA and OWS.

In Non-DCP system, the procurement of wheat and paddy/rice in Central Pool is undertaken either by FCI directly or by State Government Agencies (SGA). Procurement carried out by SGA is handed over to FCI for storage and subsequent issue against Government of India allocations in the same State or for movement of surplus stocks to other States. Government of India reimburses the expenditure incurred by FCI on procurement of stock on its own as well as for stocks taken over from SGA.

The Details of fund released to DCP States during the last three financial years are as under:

S. No.	Name of the State	Amount released (Rs.in crore)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	Andhra Pradesh	9323.38	6635.97	6268.19
2	Bihar	7671.90	10966.10	6557.64
3	Chhattisgarh	9047.77	7574.81	5236.13
4	Gujarat	749.43	311.54	267.83
5	Himachal Pradesh	-	-	47.38
6	Karnataka	1682.12	2191.75	1222.13
7	Kerala	1777.86	1544.89	1151.85
8	Madhya Pradesh	14420.62	9471.50	16939.27
9	Maharashtra	4082.07	2725.75	3923.29
10	Odisha	7892.69	7600.05	14473.68
11	Punjab	2047.53	1202.49	2064.56
12	Tamil Nadu	6250.93	8685.95	7072.53

.....3/-

13	Telangana	7665.02	5242.76	5367.07
14	Uttarakhand	1554.43	1212.25	724.39
15	West Bengal	5421.34	6580.11	-
16	Jharkhand	-	-	42.77
17	Tripura	15.58	148.67	106.51
18	DBT to UTs	186.87	187.90	268.17
	TOTAL	79789.54	72,282.49	71733.39

The details of funds released to FCI during the last three financial years are as under:

Year	Amount released (Rs in Crore)
2021-22	2,08,929.00
2022-23	2,00,219.20
2023-24	1,39,661.03

Annexure-I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) OF THE STARRED QUESTION NO. 17 FOR ANSWER ON 04.02.2025 IN THE RAJYA SABHA.

Estimates and Procurement of Paddy

Figures in LMT

S. N.	STATES/ UTs	KMS 2021-22		KMS 2022-23		KMS 2023-24	
		Estimate*	Procurement	Estimate*	Procurement	Estimate*	Procurement
1	A.P.	87.31	66.58	76.85	41.12	74.63	30.43
2	Telangana	128.66	110.35	155.22	131.86	149.25	95.32
3	Assam	9.99	5.66	9.43	5.98	12.03	3.94
4	Bihar	45.52	44.9	44.78	42.05	32.00	30.8
5	Chattisgarh	92.01	92.01	91.04	87.53	123.88	123.88
6	Gujarat	1.70	1.22	2.03	1.77	2.04	0.85
7	Haryana	59.70	55.32	59.70	59.36	59.70	58.94
8	H.P.	0.56	0.28	0.49	0.14	0.22	0.23
9	Jharkhand	7.88	7.53	7.35	1.72	4.41	0.74
10	J&K	1.12	0.41	0.67	0.34	0.40	0.24
11	Karnataka	5.18	2.19	5.15	0.21	2.78	0.00
12	Kerala	7.43	7.48	7.79	7.31	7.79	5.59
13	M.P.	45.00	45.83	46.27	46.30	50.75	42.16
14	Maharashtra	21.48	18.32	20.93	18.48	20.58	11.64
15	Odisha	77.94	71.04	71.63	79.16	79.82	70.89
16	Puducherry	0.13	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00
17	Punjab	187.28	187.55	186.57	182.29	185.28	185.53
18	Rajasthan	0.50	0.07	0.51	0.00	0.00	0.00
19	NEF (Tripura)	0.58	0.58	0.66	0.45	0.96	0.32
20	Tamilnadu	49.74	27.58	33.57	33.84	34.90	34.96
21	U.P.	70.00	65.53	59.70	65.50	65.67	53.80
22	Uttrakhand	11.63	11.56	8.96	8.96	8.30	7.30
23	WB	39.71	35.31	42.65	32.08	20.65	24.69
24	Delhi	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		951.35	857.30	932.09	846.45	936.20	782.25

* Note: Estimates of rice has been converted in to Paddy.

Annexure-II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) OF THE STARRED QUESTION NO. 17 FOR ANSWER ON 04.02.2025 IN THE RAJYA SABHA.

Estimates and Procurement of Wheat

Figures in LMT

S. N.	STATES/ UTs	RMS 2022-23		RMS 2023-24		RMS 2024-25	
		Estimate	Procurement	Estimate	Procurement	Estimate	Procurement
1	Bihar	10.00	0.03	10.00	0.01	2.00	0.10
2	Gujarat	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	0.00
3	Haryana	85.00	41.86	75.00	63.17	80.00	71.50
4	H.P.	0.27	0.03	0.30	0.03	0.10	0.03
5	J&K	0.35	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
6	M.P.	129.00	46.04	80.00	70.97	80.00	48.39
7	Punjab	132.00	96.48	132.00	121.26	130.00	124.65
8	Rajasthan	23.00	0.10	5.00	4.38	20.00	12.05
9	UP	60.00	3.36	35.00	2.20	60.00	9.31
10	Uttrakhand	2.20	0.02	2.00	0.00	0.50	0.02
11	Delhi	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		444.00	187.92	341.50	262.02	372.90	266.05

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *17
04 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न
एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद

*17. श्री उपेन्द्र कुशवाहा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान और गेहूं की खरीद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और लक्ष्य की तुलना में कितनी मात्रा में खरीद की गई, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त खाद्यान्नों की खरीद पर कितनी राशि व्यय की गई, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *17 के भाग (क)
और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): धान और गेहूं की खरीद के अनुमान, प्रत्येक खरीद मौसम के शुरू होने से पहले अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषि फसल पैटर्न के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों, कृषि मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान तय किए जाते हैं।

प्रमुख पहलें:

धान और गेहूं की खरीद में सुधार, भारत सरकार द्वारा की गई कई किसान-हितैषी पहलों का परिणाम है:

1. सरकार ने लगातार सुनिश्चित किया है कि एमएसपी की गणना वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, जिससे किसानों के लिए खेती लाभदायक रहे। भारत सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की। तदनुसार, 2018-19 से धान, गेहूं और मोटे अनाज सहित सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ तय किया गया है।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि देश भर के किसानों को खरीद प्रक्रियाओं और एमएसपी लाभों के बारे में अच्छी जानकारी मिलती रहे।
3. खरीद में देरी को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए किसान पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया गया है।
4. भंडारण, परिवहन और खरीद केंद्रों में निवेश ने खरीद प्रक्रियाओं को तेज किया है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया है।
5. डिजिटलीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनका भुगतान तुरंत मिले।
6. माननीय मंत्री ने गेहूं खरीद करने वाले राज्यों के साथ समीक्षा की है ताकि उन्हें गेहूं खरीद प्रयासों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

...2/-

इन सभी प्रयासों के कारण केएमएस 2023-24 के दौरान धान की कुल खरीद 782.25 लाख टन थी और आरएमएस 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद 266.05 लाख टन थी।

पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान और गेहूं की राज्यवार खरीद के अनुमान और खरीदी गई मात्रा क्रमशः **अनुबंध-I और अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख): केन्द्रीय पूल के लिए धान और गेहूं की खरीद विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली और केन्द्रीकृत खरीद (गैर-डीसीपी) प्रणाली के तहत की जाती है।

डीसीपी प्रणाली में, राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजना (ओडब्ल्यूएस) के तहत राज्य के भीतर गेहूं और धान/चावल की खरीद, भंडारण और वितरण करती हैं। राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त स्टॉक को केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंप दिया जाता है। राज्य द्वारा एफसीआई को सौंपे गए अतिरिक्त स्टॉक के संबंध में, एफसीआई द्वारा संबंधित राज्य को भुगतान जारी किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एफसीआई को की जाती है। भारत सरकार एनएफएसए और ओडब्ल्यूएस के तहत राज्य के भीतर खरीदी गई मात्रा के वितरण के लिए डीसीपी राज्य द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

गैर-डीसीपी प्रणाली में, केंद्रीय पूल में गेहूं और धान/चावल की खरीद या तो सीधे एफसीआई द्वारा या राज्य सरकार एजेंसियों (एसजीए) द्वारा की जाती है। एसजीए द्वारा की गई खरीद को भंडारण के लिए और बाद में उसी राज्य में भारत सरकार के आबंटन के विरुद्ध जारी करने या अधिशेष स्टॉक को अन्य राज्यों में संचलन हेतु एफसीआई को सौंप दिया जाता है। भारत सरकार एफसीआई द्वारा स्टॉक की स्वयं की गई खरीद के साथ-साथ एसजीए से लिए गए स्टॉक पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान डीसीपी राज्यों को जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	9323.38	6635.97	6268.19
2.	बिहार	7671.90	10966.10	6557.64

...3/-

3.	छत्तीसगढ	9047.77	7574.81	5236.13
4.	गुजरात	749.43	311.54	267.83
5.	हिमाचल प्रदेश	-	-	47.38
6.	कर्नाटक	1682.12	2191.75	1222.13
7.	केरल	1777.86	1544.89	1151.85
8.	मध्य प्रदेश	14420.62	9471.50	16939.27
9.	महाराष्ट्र	4082.07	2725.75	3923.29
10.	ओडिशा	7892.69	7600.05	14473.68
11.	पंजाब	2047.53	1202.49	2064.56
12.	तमिलनाडु	6250.93	8685.95	7072.53
13.	तेलंगाना	7665.02	5242.76	5367.07
14.	उत्तराखंड	1554.43	1212.25	724.39
15.	पश्चिम बंगाल	5421.34	6580.11	-
16.	झारखंड	-	-	42.77
17.	त्रिपुरा	15.58	148.67	106.51
18.	संघ राज्य क्षेत्रों को डीबीटी	186.87	187.90	268.17
	कुल	79789.54	72,282.49	71733.39

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एफसीआई को जारी निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2021-22	2,08,929.00
2022-23	2,00,219.20
2023-24	1,39,661.03

राज्य सभा में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *17 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

धान का अनुमान और खरीद

आंकड़े लाख टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2021-22		केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24	
		अनुमान*	खरीद	अनुमान*	खरीद	अनुमान*	खरीद
1	आंध्र प्रदेश	87.31	66.58	76.85	41.12	74.63	30.43
2	तेलंगाना	128.66	110.35	155.22	131.86	149.25	95.32
3	असम	9.99	5.66	9.43	5.98	12.03	3.94
4	बिहार	45.52	44.9	44.78	42.05	32.00	30.8
5	छत्तीसगढ़	92.01	92.01	91.04	87.53	123.88	123.88
6	गुजरात	1.70	1.22	2.03	1.77	2.04	0.85
7	हरियाणा	59.70	55.32	59.70	59.36	59.70	58.94
8	हिमाचल प्रदेश	0.56	0.28	0.49	0.14	0.22	0.23
9	झारखंड	7.88	7.53	7.35	1.72	4.41	0.74
10	जम्मू एवं कश्मीर	1.12	0.41	0.67	0.34	0.40	0.24
11	कर्नाटक	5.18	2.19	5.15	0.21	2.78	0.00
12	केरल	7.43	7.48	7.79	7.31	7.79	5.59
13	मध्य प्रदेश	45.00	45.83	46.27	46.30	50.75	42.16
14	महाराष्ट्र	21.48	18.32	20.93	18.48	20.58	11.64
15	ओडिशा	77.94	71.04	71.63	79.16	79.82	70.89
16	पूदुचेरी	0.13	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00
17	पंजाब	187.28	187.55	186.57	182.29	185.28	185.53
18	राजस्थान	0.50	0.07	0.51	0.00	0.00	0.00
19	एनईएफ (त्रिपुरा)	0.58	0.58	0.66	0.45	0.96	0.32
20	तमिलनाडु	49.74	27.58	33.57	33.84	34.90	34.96
21	उत्तर प्रदेश	70.00	65.53	59.70	65.50	65.67	53.80
22	उत्तराखंड	11.63	11.56	8.96	8.96	8.30	7.30
23	पश्चिम बंगाल	39.71	35.31	42.65	32.08	20.65	24.69
24	दिल्ली	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		951.35	857.30	932.09	846.45	936.20	782.25

* नोट: चावल का अनुमान धान में परिवर्तित कर दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *17 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गेहूं का अनुमान और खरीद

आंकड़े लाख टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरएमएस 2022-23		आरएमएस 2023-24		आरएमएस 2024-25	
		अनुमान	खरीद	अनुमान	खरीद	अनुमान	खरीद
1	बिहार	10.00	0.03	10.00	0.01	2.00	0.10
2	गुजरात	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	0.00
3	हरियाणा	85.00	41.86	75.00	63.17	80.00	71.50
4	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.03	0.30	0.03	0.10	0.03
5	जम्मू एवं कश्मीर	0.35	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
6	मध्य प्रदेश	129.00	46.04	80.00	70.97	80.00	48.39
7	पंजाब	132.00	96.48	132.00	121.26	130.00	124.65
8	राजस्थान	23.00	0.10	5.00	4.38	20.00	12.05
9	उत्तर प्रदेश	60.00	3.36	35.00	2.20	60.00	9.31
10	उत्तराखंड	2.20	0.02	2.00	0.00	0.50	0.02
11	दिल्ली	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		444.00	187.92	341.50	262.02	372.90	266.05

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों के साथ वादा किया है कि उनकी फसलों का मूल्य, जितनी लागत है, उससे ज्यादा मिले और इस दृष्टि से धान और गेहूँ खरीद के मामलों में भी माननीय मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है और किसानों के जो कई इश्यूज हैं, उन इश्यूज को एड्रेस भी किया है। इसमें इन्होंने एमएसपी की गणना के लिए कहा है कि 50 प्रतिशत लागत पर कम से कम मार्जिन के साथ एमएसपी तय किया जा रहा है। इन्होंने इस इश्यू को एड्रेस किया। दूसरा इश्यू, किसानों से जो धान और गेहूँ की खरीद होती है, उसमें पहले देरी होती रही है, इसको भी इन्होंने एड्रेस किया है, जो इन्होंने अपने जवाब में बताया है। भंडारण, परिवहन और खरीद केन्द्र में निवेश के मामले में भी जो इश्यू था, इसको इन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन एक बड़ा इश्यू, जो मैं अपने राज्य, बिहार में देख रहा हूँ, वह इश्यू यह है कि आप एमएसपी पर जितना पैसा खर्च करते हैं, उतना पैसा वास्तव में जो किसान हैं, उनको नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं इस सिस्टम में बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, बिचौलिए आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि बिचौलिए सरकार के पैसे को हड़प लेते हैं, जो किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है।

श्री उपसभापति: आप संक्षेप में सवाल पूछें।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह इश्यू माननीय मंत्री जी और विभाग के ध्यान में आया है और अगर यह ध्यान में आया है, तो इसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है और अगर यह इश्यू इनके ध्यान में नहीं आया है, तो इस तरह की शिकायत को देखने के लिए, उसकी परख के लिए क्या वे कोई रास्ता अपनाएँगे?

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, माननीय सदस्य ने बहुत इंपोर्टेंट सवाल उठाया है। इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, उसके अनुसार there are two systems. One is DCP, Decentralized Procurement; one is non-DCP, means, हम एफसीआई वगैरह-वगैरह से खरीदते हैं, लेकिन दोनों विषय में स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी उधर रहती है, हम उसकी मदद लेते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वे बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो जिक्र किया है, उसके अनुसार 2018-19 से, मोदी जी की सरकार आने के बाद, 50 per cent of the overall all-India weighted average cost production का, cost of the production का 50 per cent देने का काम पहली बार मोदी जी की सरकार में शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने जो इसमें बिचौलियों की बात कही, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम DBT के माध्यम से ही पैसा भेजते हैं। जो किसान either in DCP or non-DCP State में हमें एमएसपी पर धान देते हैं या व्हीट देते हैं, हम डायरेक्टली 48 hours में उस किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जहाँ DCP State हैं, वहाँ तो डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को ही देते हैं, non-DCP State में हम एफसीआई को देते हैं और एफसीआई inter-State को ही देती है। Ultimately, we have instructed the State Government to directly credit it into the

accounts of the farmers. अगर आपके पास कोई specific शिकायत है और वह मुझे भेजते हैं, तो हम इसमें जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जी की इच्छा है कि किसानों को पूरा पैसा मिले। पहले ऐसा समय था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, तो उधर जाकर वह 15 पैसे ही पहुँचता था, वह स्थिति अब चली गई है। ...**(व्यवधान)**... Everything will reach directly to the farmer. This is the position as on date. अगर कोई specific complaint है, तो मैं जरूर उसके बारे में देखूँगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, माननीय उपेन्द्र जी।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा जाता है, लेकिन किसानों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। उसके सामने एक मजबूरी तो परिस्थिति के कारण होती है और दूसरी मजबूरी यह होती है कि बिचोलिए मिलीभगत से कुछ ऐसी situations create कर देते हैं कि किसान की मजबूरी बढ़ जाती है। उसके चलते किसानों का धान या गेहूँ समय पर नहीं बिक पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बिचोलिए या वहाँ पर सिस्टम के जो लोग हैं, उनकी मिलीभगत से जो शर्त तय की जाती है, उस शर्त को मानने के लिए किसान मजबूर होता है। पैसा तो उसी के अकाउंट में जाता है, लेकिन..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Briefly.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।

श्री उपसभापति: हाँ, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: किसान उस शर्त को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका नतीजा होता है कि लोग किसान से withdrawal पर पहले ही सिग्नेचर करा लेते हैं और किसान को एमएसपी पर जितना पैसा मिलना चाहिए, उससे कम पैसा बाद में कैश निकाल कर दे दिया जाता है कि यह आप रिसीव कीजिए। यह जो समस्या है, इसके हिसाब से मैं जरूर आग्रह करूँगा कि इसमें कार्रवाई हो, ताकि किसान को शत-प्रतिशत पैसा मिले। आप जो उसके अकाउंट में देते हैं, उसमें वह निश्चित रूप से जाता है, लेकिन फिर उससे जो ले लिया जाता है, इस पर कोई न कोई अंकुश लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि...

श्री उपसभापति: उपेन्द्र जी, प्लीज़। माननीय मंत्री जी को और भी सवाल लेने हैं। इस पर और भी क्वेश्चंस हैं। Please be brief.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, मैंने अभी तो एक ही supplementary question किया है।

श्री उपसभापति: आपका दूसरा supplementary question अन्तिम है। आप पूछ लें।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, विभाग से एक आंकड़ा जो पहले प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से कुछ अनियमितताओं की सूचना विभाग को मिली है और 2022 तक उसकी भी रिपोर्ट प्राप्त है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अनियमितता किस तरह की है और क्या 2022 के बाद उसका आंकड़ा और बढ़ा है? यह मेरा क्वेश्चन है।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, जहाँ तक बिहार का सवाल है, Bihar is a deficit State. बिहार में जितनी requirement है, rice का requirement 40 LMT है, wheat का requirement 11 LMT है, उतना तो उधर procure नहीं होता है। उसके साथ ही साथ, जैसा मैंने कहा कि आज के दिन हम डीबीटी के माध्यम से ही payment करते हैं। अगर कोई specific complaint है, तो हम इसमें जरूर enquiry करा देंगे। चूँकि deficit State है, इसलिए मैंने मंत्रीगणों के साथ मीटिंग की है। जहाँ-जहाँ deficit procurement हो रहा है especially wheat का, उसके लिए हमने सबसे मीटिंग भी की है और मीटिंग करके especially wheat का procurement ज्यादा करने के लिए आग्रह किया है। इसके साथ ही इसके लिए स्टोरेज आदि की व्यवस्था करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक विशेष प्रयास हो रहा है। Deficit State के कारण यह होता है कि due to a higher market price than MSP, the marketable surplus is sold by farmers to the private traders instead of Government agencies. यह तो अच्छी चीज है, क्योंकि कई राज्यों में जहाँ मार्केट में मूल्य एमएसपी से नीचे होता है, वहाँ लोग अपना अनाज एमएसपी पर देता है और जहाँ एमएसपी से ज्यादा होता है, वहाँ पर वह डायरेक्टली देता है। बिहार में through the PACS and Vyapar Mahamandal procurement होता है। This is through the cooperative sector. हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट in turn, through them, they give to the farmers.

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, एक तरफ तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए वादा किया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसान भूख हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे, तो पाएँगे कि एमएसपी पर धान व गेहूँ की खरीद में निरंतर कमी होती जा रही है। इसके साथ-साथ जो राशि खर्च की जाती है, उसमें भी जहाँ 2021-22 में 79,000 करोड़ रुपए था, वह घट कर 71,000 करोड़ रुपए रह गया है और एफसीआई के लिए भी 2.08 लाख करोड़ रुपए था, वह घट कर 1.39 लाख करोड़ हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ procurement कम होता जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही है। माननीय उपेन्द्र कुशवाहा जी ने बताया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि FAQ तय करने वाले अधिकारी या सर्वेयर की जो न्यूनतम अहर्ताएँ होनी चाहिए, वे क्या हैं और क्या उसका पालन हो रहा है? मेरा यह अनुभव है कि मौके पर daily wage employees इस काम

को कर रहे हैं और उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उपेन्द्र कुशवाहा जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है। संबंधित अधिकारी या सर्वेयर किसान का FAQ रिजेक्ट कर देते हैं और रात को वही माल किसान के नाम पर व्यापारी खरीद लेते हैं। इसके अंदर बहुत भारी भ्रष्टाचार है।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, माननीय दिग्विजय सिंह जी जो बात कर रहे हैं, शायद वे अपने कालखंड की बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, ये क्या बात कर रहे हैं? सर, उनको जरा कहिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... माननीय दिग्विजय जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी, कृपया आप बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इन्होंने जो 2021-22 का उदाहरण दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कृपया सीट पर बैठ कर न बोलें। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप जवाब दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, दिग्विजय सिंह पहले सुनें, तब तो उनको समझ में आएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: हम तो अमृत काल की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप जवाब दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2021-22 की जो बात कर रहे हैं, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने कोविड काल खंड में स्टेट को जो additional allocation किया था, उस वक्त वह ज्यादा हुआ था। बाद में जो नॉर्मल एलोकेशन है, वह एलोकेशन सभी राज्यों में हो रहा है। हमने recently एक advertisement भी दिया था। Whenever in need, if the farmer comes to the Government, the Modi Government is prepared to purchase every grain. This is what has been assured, and we have done that. That is on record. सर, 2004 से 2014 तक कितना procurement होता था? The procurement of paddy was 4,590 LMT. From 2014-2024 6,899 LMT of paddy was procured. As far as wheat is concerned, from 2004 to 2014, 2140 LMT होता था, जो अभी मोदी जी के कालखंड में 3,072.58 LMT हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... सर, इनको थोड़ा सुनने की आदत होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... सर, इनके कालखंड में what was the MSP? इसके आधार पर सब कैलकुलेट कर सकते हैं। From 2004 to 2014, Rs. 4,40,498 crore was paid to the farmers in ten

years, whereas in the Modi period for the paddy, Rs.12,51,403 crore was paid. It is three times more amount we have paid to the farmers. ...*(Interruptions)*... As far as wheat is concerned, इनके कालखंड में 2004-05 to 2013-14 तक 2,26,817 करोड़ होता था, जबकि मोदी जी के कालखंड में 5,44,324 करोड़ रुपये है। इनके कालखंड में 2,26,817 करोड़ होता था, जो हमारे कालखंड में 5,44,324 crore है, which is more than two-and-half times, directly credited to the accounts of farmers. ...*(Interruptions)*... यह मोदी जी का अमृत काल है। सर, यह डीबीटी के माध्यम से होता है। इन्होंने बिना "आधार" के किया था, लेकिन अब आधार, जनधन और मोबाइल, इन तीनों को मिलाकर डीबीटी के माध्यम से हम फॉर्मर्स के अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसा भेज रहे हैं। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक जमाना था, जब यह कहा जाता था कि मैं दिल्ली से एक रुपये भेजता हूँ तो केवल 15 पैसे ही पहुँचते हैं। अब मोदी सरकार के समय में दिल्ली से जब एक रुपया भेजा जाता है, तो वह पूरा एक रुपया किसान के खाते में जाता है, यह मोदी जी का रिकॉर्ड है। ...*(व्यवधान)*... सर, अब पूरा 100 पैसा उनके अकाउंट्स में जाता है। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K.R.N. Rajeshkumar. मेरा आग्रह है कि सवाल और जवाब, दोनों ब्रीफ हो तो हम माननीय मेम्बर्स के और अधिक सवाल ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*... Shri K.R.N. Rajeshkumar, wait for a minute. ऑनरेबल एलओपी कुछ कह रहे हैं।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, इसमें मैं और तू की बात नहीं है। इस वक्त आप जो खरीदते हैं, उसके लिए आपने वहाँ पर without any qualification डेली वेजेज पर खरीदार अप्वाइंट किए हैं। वे व्यापारी और किसान के बीच में एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं, जिसमें गड़बड़ी होती है। उसमें यह होता है कि अगर मैं माल ले जाता हूँ और मेरा माल अच्छा भी है तो उसको वे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं तूर का उदाहरण देता हूँ। अगर मेरी तूर अच्छी भी है, तो उसको वे रिजेक्ट कर देते हैं और उसको सेकंड ग्रेड में डाल देते हैं और जिसे उनको लेना है, उसको वे फर्स्ट ग्रेड में डाल देते हैं। उससे यह होता है कि जो मीडिएटर है, वह बोलता है कि इसको मैं खरीद लेता हूँ, जिसके कारण जो असल आदमी है, वह उसको खरीद नहीं पाता है। यह बात आज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जमाने में 35 पैसे था, 40 परसेंट था। अरे छोड़ो, यह बोल-बोलकर तो ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय एलओपी। Hon. Shri K.R.N. Rajeshkumar, put your question now. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Hon. Deputy Chairman, Sir, the demand for wheat in Tamil Nadu has increased. Will the hon. Minister increase the present allotment of wheat from 8,500 tonnes to 20,000 tonnes per month? The Tamil Nadu Civil Supplies Corporation has already sent the request. Is it under consideration?

श्री प्रहलाद जोशी: सर, procurement और disbursement के लिए एक व्यवस्था है। एक ratio होता है, उस ratio के आधार पर ही disbursement होता है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय उपसभापति महोदय, धान की जो खरीद होती है, वह एमएसपी पर होती है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार हर साल सीएसीपी के inputs को लेकर किसानों की धान, गेहूं और अन्य फसल पर एमएसपी बढ़ाती जा रही है। उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें मोदी जी के विज़न को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए और भी प्रयास कर रही हैं, जिसका एक उदाहरण मैं हमारी महाराष्ट्र की सरकार का देना चाहूंगा, जो एमएसपी के ऊपर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये हमारे धान काटने वाले किसानों को दे रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, खासकर हरियाणा में और अन्य सरकारें किसानों की मदद करने के लिए एमएसपी के उपरान्त भी जो मदद कर रही हैं, वह बहुत सराहनीय है।

श्री उपसभापति: माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, कृपया सवाल पूछें।

श्री प्रफुल्ल पटेल: मैं इसको बोनस बोलता हूं, मैं यह कहना चाहूंगा। मंत्री जी को मेरा एक ही सुझाव है कि जिन राज्यों में एफसीआई के माध्यम से खरीद नहीं हो रही है, जो हमारे कुशवाहा जी ने भी पूछा कि आप वहां पर एफसीआई की खरीद नहीं कर रहे हैं, वहां तक तो हम समझ सकते हैं कि कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन जहां प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम यह है कि godown capacity कम है। उसकी वजह से किसान से mediator जो धान खरीदते हैं, उसमें काफी विलम्ब होता है। उन societies को जो वेट का घाटा होता है, वह काफी मात्रा में होता है। उसके लिए अगर FCI ज्यादा godown की facilities create करे, भले ही स्टेट purchase करे, स्टेट की एजेंसी करे, क्या इसके लिए मंत्री जी के पास कोई योजना है?

श्री प्रहलाद जोशी: सर, बार-बार यह प्रश्न पूछा गया कि जो contract labour है, mediator आता है, इस बारे में खरगे जी ने मुद्दा उठाया, उस पर मैं इतना ही क्लियर करना चाहता हूं कि FCI जो खरीद करती है, that will be through the State agencies. हमारे procurement centre में जो कुछ भी आता है, हम सब procure कर रहे हैं। As on date, there is no issue in that. As far as the storage is concerned, yes, क्योंकि स्टेट में भी, हमारा भी एमएसपी बहुत considerably बढ़ा है। प्रधान मंत्री जी के द्वारा देश का कार्यभार संभालने के बाद हमने एमएसपी को बड़ी मात्रा में increase किया है। इसी कारण धान और गेहूं, दोनों ही हमारे procurement centre में आते हैं, उसके लिए हम खरीद कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना assure करता हूं कि हम जो खरीदते हैं, वह procurement center में आता है। जब हम एक बार procurement center से खरीदने का process complete करते हैं, within two or three days. Immediately after that, it will be directly credited to the accounts of the farmers. I have told this repeatedly. Secondly, as far as the storage is concerned, हम स्टेट गवर्नमेंट से regularly engage कर रहे हैं, The DFT conducted meeting with the State Governments, including Punjab, Haryana, Chhattisgarh to request the additional storage capacity of the State

godowns. Storage capacity augmentation through the additional hiring, FCI से कर रहे हैं। We had planned that for this year, 78.60 LMT capacity needs to be developed. In that, already 22 LMT has already been hiked. And, shift in Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, यह भी हम कर रहे हैं। Optimisation of storage in Madhya Pradesh is there. मध्य प्रदेश में ज्यादा storage facilities हैं। उसका उपयोग करने के लिए हमने already व्यवस्था शुरू की है। पंजाब और हरियाणा सरकार से बातचीत करके ज्यादा स्टोरेज करने के लिए वहां व्यवस्था की है। आज हमारे पास जो ज्यादा rice है, वह ethanol के लिए दे रहे हैं, उधर हमारा 28 LMT जाएगा।

मोदी जी के कालखंड में ओपन मार्किट में सेल्स का प्राइस भी कम हुआ है। It was 28 rupees earlier and now we have brought it down to Rs. 22.50 rupees per kilogram with the help of hon. Finance Minister, for which I am thankful to her and the hon. Prime Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q. No. 18.